समाप्त कर चुका है।

P-1 | R.M.M. Law College – Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time Lecturer

Subject – Hindu Marriage Act
part – 1

हिन्दू विवाह के लिए शर्तें (Conditions of Hindu Marriage)
दो हिन्दुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित करने के लिए विधिक दृष्टि से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है
(1) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधु का कोई जीवित पति हो।
(2) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार–
(क) चित विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो, या
(ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या
(ग) उसे उन्मत्तता या मिरगी का बार-बार दौरा न पड़ता हो
(iii) विवाह के समय वर ने इक्कीस वर्ष की आयु और वधु ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
(iv) जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हो
(v) जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिण्ड न हों,

हिन्दू धर्म के दो अनुयायियों के मध्य विवाह का अनुष्ठान सम्पन्न हुआ तभी समझा जायगा जबकि उपरोक्त कतिपय शर्तों का पालन किया गया हो। यदि शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है तो विवाह पूर्ण नहीं माना जा सकता और विधि के समक्ष कोई मान्यता नहीं होगी।

विवाह की आवश्यक शर्तें–
(क) शर्त संख्या–(1) विवाह की इच्छा रखने वाले पक्षकारों का विवाह के समय पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, यह वैध हिन्दू विवाह की प्रथम शर्त है। हिन्दू विधि में पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक पति एक समय में एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता है परिणामतः एक पुरुष अपनी पत्नी के

P-2 हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें

जीवित होते हुए भी वह दूसरी स्त्री से विधिवत शादी करके उसे पत्नी बना लेता था। दूसरा पहलू यह कि सामाजिक संरचना एवं वातावरण पुरुष प्रधान था, नारी को सदैव एक वस्तु की भाँति समझा जाता था। दोनों के अधिकारों मे कहीं कोई समानता नहीं थी, जिसके कारण स्त्री के प्रति अन्याय एवं उसका अपमान सामान्य बात थी और निष्कर्षतः स्त्री का दर्जा पुरुष से बहुत नीचा था।

पति पत्नी के मध्य वास्तविक समानता लाने के लिए यह जरूरी समझा गया कि जब पत्नी पर यह पाबन्दी है कि वह एक से अधिक पति नहीं रख सकती, तो पति को यह विशेषाधिकार क्यों दिया जाये? अतः हिन्दू विवाह अधिनियम में वैध विवाह के लिए यह शर्त रखी गई कि विवाह के समय वर-वधु का पहले से कोई पति या पत्नी जीवित न हो। यदि एक पक्ष के जीवित रहते कोई पति या पत्नी दूसरा विवाह करता या करती है तो विवाह अवैध होगा। इस प्रकार हिन्दू विधि में पुरुष के एक से अधिक पत्नीयां रखने का रिवाज समाप्त कर दिया गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 17 में इस बात का प्रावधान है कि यदि पक्षकार, जबकि उसका पति या पत्नी जीवित है और वह दूसरा विवाह कर लेता है तो इसे अपराध मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 एवं 495 मे दण्डित करने का प्रावधान किया गया है। सबिता जैन शोभा भाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, सुरजीत सिंह बनाम गुरुवार सिंह, बलविन्दर सिंह बनाम गुरपाल सिंह, प्रकाश चन्द्र बनाम परमेश्वरी के वाद में दिया गया आदेश एक नजीर है।

(ख) शर्त संख्या (2) विवाह के समय पति या पत्नी चित्त विकृति से पीड़ित नहीं होना चाहिए। चूंकि जड़ व पागल शब्द के अर्थ अत्यन्त विस्तृत है, अतः न्यायालय को उसके अर्थान्वयन में कठिनाई होना संभव है। इस कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 5(2) को सन 1976 के अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित करके सरल कर दिया गया है। वैवाहिक मामलों में किसी पति या पत्नी की चित्तविकृति

Scanned with CamScanner

[P.3] हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें

को निर्धारित करने के लिए धारा 5(2) में दिये गये तीन उपखण्डों में से कोई एक भी सिद्ध होता है तो इस आधार पर धारा 12(ब) के अन्तर्गत वह विवाह शून्यकरणीय माना जायेगा। चूँकि चित्त विकृति के आधार पर पक्षकारों को धारा 13(iii) में तलाक का अधिकार भी दिया गया है। धारा 5(2) की शर्त की सीमा केवल के विवाह के समय तक सीमित है। यदि यह चित्तविकृति विवाह के समय नहीं थी अर्थात कोई भी पक्षकार इस रोग से पीड़ित नहीं था तो ऐसी स्थिति में इस शर्त का उल्लंघन होना नहीं माना जायेगा। शर्त संख्या 2 से सम्बन्धित मुनिश्वर दत्त शिवेट बनाम इन्द्रा कुमारी, प्रवीण कुमार बनाम मनमोहन, बालकृष्ण बनाम श्री ललिता, अलका शर्मा बनाम ए॰ पी॰ शर्मा के वाद में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है।

(ग) शर्त संख्या 3 – विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्राचीन हिन्दू विधि में वर एवं वधू का विवाह के समय कोई आयु निश्चित नहीं थी जिसके फलस्वरूप हिन्दू विवाह में कई कुरीतियों ने जन्म ले लिया जिस पर अंकुश लगाने के लिए इस अधिनियम में वर एवं वधू के विवाह के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर दी गयी। प्रारम्भ में यह उम्र विवाह के समय वर के लिए 18 वर्ष एवं वधू के लिए 15 वर्ष थी परन्तु सन् 1978 के अधिनियम संख्या 2 के द्वारा इस आयु सीमा को बढ़ाकर विवाह के समय वर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गयी है। बद्री प्रसाद बनाम बैजनाथ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि अब भी अशिक्षा एवं गरीबी के कारण कहीं कहीं ऐसे विवाह हो जाते हैं जिनमें वर-वधू की आयु शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। इस आयु शर्त के उल्लंघन की दशा में पक्षकारों के बीच विवाह को अवैध न मान कर शून्यकरणीय माना गया है जो धारा 12 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देकर समाप्त किया जा सकता है। इस शर्त का पालन न होने पर विवाह तो वैध रहता है, लेकिन हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18(अ) के शर्त के उल्लंघन में 2 वर्ष का कारावास अथवा 1000 रुपये दण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। शर्त संख्या 3 से सम्बन्धित वाद रवीन्द्र प्रसाद बनाम सीतादेवी, सियाराम बनाम धुन्नी देवी, रामखेलावन बनाम जानकी देवी उल्लेखनीय है।

Scanned with CamScanner

1-5 हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें

(4) शर्त संख्या 4 – वर एवं वधू आपस में प्रतिषिद्ध नातेदारी की श्रेणियों के अन्तर्गत न हों। अधिनियम की धारा 3(छ) में प्रतिषिद्ध सम्बन्धों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार यदि कोई एक दूसरे का पारम्परिक पूर्व पुरुष है अथवा पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, यदि उनमें से एक दूसरे के भाई के पिता अथवा माता के भाई की पत्नी रही हो या वे भाई-बहिन, ताया, चाचा-भतीजी, मामा-भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या उनके पिता जो आपस में भाई-बहिन है या माता दोनों बहिने है या पिता दोनों भाई हैं तो ऐसा सम्बन्ध प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री में आयेगा। ऐसे रिश्ते में जब तक कोई रीति अथवा रूढ़ि विवाह की आज्ञा न देती हो वह अकृत एवं शून्य होगा। शकुन्तला देवी बनाम अमरनाथ का मामला उल्लेखनीय है।

(5) शर्त संख्या (5) → वर एवं वधु आपस में सपिंड नातेदारी के अन्तर्गत न हो। धारा 3(च) सपिंड नातेदारी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो उनमें से एक दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो जो माता के माध्यम से उसकी उपर की ओर परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता के माध्यम से उसकी उपर की पीढ़ी में पांचवी पीढ़ी तक आती है या उनका कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष उनसे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। यदि सपिंड नातेदारी के भीतर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य माना गया है। परन्तु सपिंड नातेदारी में विवाह करने की कहीं कहीं प्रचलित रीति-रिवाजो के अनुसार अनुमति है जिसके कारण इस अधिनियम में भी सपिंड नातेदारी में दिये गये प्रत्येक विवाह को शून्य करार नहीं कर दिया गया है अपितु उन पक्षकारों के बीच यदि ऐसे विवाह करने की रूढ़ि या प्रथा है तो अधिनियम द्वारा उनको मान्यता देते हुए ऐसे विवाह की अनुमति दी गई है। इस शर्त के अन्तर्गत वर एवं वधु के बीच यदि रीति रिवाज के आधार पर इन सम्बन्धों के होते हुए भी विवाह किया जा सकता है तो यह शर्त आवश्यक नहीं है और ऐसा विवाह विधि मान्य है।

Scanned with CamScanner

P-5

हिन्दू विवाह के आवश्यक शर्तें

अधिनियम की इस धारा में विवाह के वैध होने के लिए जो 5 शर्तें बताई गयी हैं उनमें सबका प्रभाव एक जैसा नहीं है। कहीं शर्त के पूरा नहीं करने पर विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कहीं एक शर्त के पूरा न करने पर विवाह, विवाह नहीं माना जाता और विवाह शून्य हो जाता है। शर्त नं० 1, 4, एवम 5 ऐसी हैं यदि उसका उल्लंघन होता है तो विवाह धारा 11 में शून्य है और कानून की दृष्टि में विवाह नहीं है। इसी प्रकार शर्त नं० 3 के उल्लंघन करने में विवाह पर धारा 11 एवम 12 के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार सभी शर्तों को धारा 5 में आवश्यक तो बताया गया है, लेकिन उल्लंघन करने से विवाह पर इनके प्रभाव एक जैसे घातक नहीं होते।

Scanned with CamScanner